

व्य.प.व्य.
कनाय पदाकारान उपस्थित/पीठासीन
कार्य चयन राजकार्य के
होने से प्रकरण दिनांक 10/12/24
को पेश हों।

आज्ञा से
(F)
रीडर

10.12.24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित।
विपक्षीयता नामित शेष क्षेत्र ही प्रार्थी अधिवक्ता को
समान जोखिम पेश करने हेतु कई अवसर दिए गए बावजूद
कोई पेश नहीं होने से जाहिर है कि वह अपने वाद के
प्रति अंभीर नहीं हैं तथा दस्तगत प्रकरण का मूलवाद भी
आदेश 9 नियम 5 के तहत अयम नामित तकमिल के खारिज
हो चुका है। जिससे इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही
शेष नहीं रहती है।

अतः प्रार्थन पत्र आदेश 9 नियम 5 के तहत अयम
नामित तकमिल के खारिज किया जाता है। निर्णय से उज्जलाय
धुनाया गया प्रकरण फेवल 2000 नम्बर से कम है।



(रिया. 5/20)
DAS
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर